

Form No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बयाना
लक्ष्मणसिंह वनाग अम्गन बगैराह
किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट नं रान 24/9/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इरा हुक्म की तागिल मे जारी हुए
23/9/25	<p>प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा मूल अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है कि मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम बृहम्बाद एवं पुराबाईखेडा तहसील बयाना में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें।</p> <p>हमने एड. प्रार्थी को सुना। बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन करने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.12.2025 तक इस आशय की जारी की जाती है कि मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम बृहम्बाद एवं पुराबाईखेडा तहसील बयाना में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>नोट- यह स्थगन आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का कोई समर्पण कराना चाहता है तो स्थगन आदेश का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य बंद नहीं करवाया जावे। उक्त खसरा नम्बर पर जारी स्थगन आदेश सटे हुए खसरा नम्बरान की पैमाईश बाबत निष्प्रभावी रहेगें।</p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी को जरिये साधारण/रजिस्टर्ड डाक द्वारा तलबी हेतु तलवाना पेश हो अन्याथा आगामी तारीख पेशी को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 15.12.2025 को पेश हो।</p>	

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

24/11/25

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर तारीख पेशी के पूर्व तलब किया जाया प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

749 24-11-25

जाहिए किना कि हम पञ्जाबकारण के मह्य
वर्षीगमा से युग है प्रार्थी प्रकल्प में
आगे कार्मवादी गद्दी न्यायता न प्रकल्प
इसी स्तर पर खारीक करन न्यायता है
प्रार्थी भी पदचान ७४० कागवान कि है
गुर्जर छाया की गई

अतः प्रकल्प इसी स्तर पर प्रार्थी
के प्रार्थना पुत्र के आधार पर खारीक
किया जाता है प्रकल्प सैजल शुभार
द्वेष नम्बल के सम है वाड तकनील
कार्मल कस्तर है

अखण्ड अभिनानी
बयाना भारतपुरा